

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित वि.सं.-29/2014 (टेक्सटाईल अभियंत्रण/टेक्नोलॉजी), वि.सं.-30/2014 (सिरामिक्स इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी), वि.सं.-31/2014 (ऑटोमोबाईल अभियंत्रण/टेक्नोलॉजी), वि.सं.-37/2014 (रसायनिक अभियंत्रण/टेक्नोलॉजी) एवं वि.सं.-42/2014 (पुस्तकालय विज्ञान) के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश


विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
29/2014 व्याख्याता, टेक्सटाईल अभियंत्रण/ टेक्नोलॉजी	सोमवार 09.01.2017	290004, 290011, 290012, 290027, 290030, 290040, 290055, 290068, 290073	xxxxx
31/2014 व्याख्याता, ऑटोमोबाईल अभियंत्रण/ टेक्नोलॉजी	सोमवार 09.01.2017	xxxxx	310005, 310008, 310012, 310017, 310019 310022
42/2014 व्याख्याता, पुस्तकालय विज्ञान	मंगलवार 10.01.2017	420008, 420009, 420020, 420040, 420044	xxxxx
37/2014 व्याख्याता, रसायनिक अभियंत्रण/ टेक्नोलॉजी	मंगलवार 10.01.2017	xxxxx	370006, 370009, 370027
30/2014 व्याख्याता, सिरामिक्स इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी	मंगलवार 10.01.2017	xxxxx	300014

- उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाईट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत का विवरण प्रपत्र-II भी उपलब्ध रहेंगे जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।
- साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-
 - जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
 - मैट्रिक का मूल अंक प्रमाण पत्र।
 - इंटरमीडिएट का मूल अंक पत्र।
 - इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र।
 - स्नातक/बी.ई./बी.टेक. का मूल अंक पत्र।
 - स्नातक/बी.ई./बी.टेक. की डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।
 - स्नातकोत्तर/एम.ई./एम.टेक. का मूल अंक पत्र।
 - स्नातकोत्तर/एम.ई./एम.टेक. की डिग्री का मूल प्रमाण पत्र।
 - वैसे उम्मीदवार, जिनके प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय/संस्था से उक्त ग्रेडिंग को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र (स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने सम्बन्धी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति)।
 - पीएच.डी. सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र।
 - पिछड़ वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
 - पिछड़ वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (मूल प्रमाण पत्र विगत एक वर्ष के पूर्व का होना जरूरी)।
 - अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति मूल प्रमाण पत्र।
 - अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थायी निवास का मूल प्रमाण पत्र।
 - निःशक्तता सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र।
 - मूल पहचान पत्र ज्ञातयुक्त।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (23.09.2014) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

यदि आप अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, जाति/कोटि तथा शारीरिक विकलांगता के स्तर, आयु में रियायत आदि के समर्थन में अपने साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

6. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा-मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
8. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।


16/12/16
अपर सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना